न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 197/2013 (2014/00329)

1. सफी पुत्र रहमतुले खां जाति मुसलमान तैली निवासी वार्ड संख्या–21, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सलीम पुत्र रजाक जाति मुसलमान तैली निवासी वार्ड संख्या–21, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. नाजम अली पुत्र नेक मोहम्मद जाति मुसलमान तैली निवासी वार्ड संख्या–21, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

—अपीलांट

बनाम

1. यासीन पुत्र फैजू खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गफूर पुत्र फैजू खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

   2/1 जीन खां पुत्र
   2/2 रोशन खां पत्रु
   2/3 इशफाक खां पुत्र
   2/4 रफीक खां पुत्र
   2/5 पप्पू खां पुत्र
   2/6 सुभ्रा पुत्र
   2/7 जिया पुत्री
   2/8 बातूल पुत्री

   } गफूर खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सराजू खां पुत्र फैजू खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. लियाकत अली पुत्र फैजू खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. मरियम पुत्री फैजू खां (फौत)

   5/1 सलीमा पुत्र
   5/2 ताजबानो पुत्री
   5/3 अख्तरी पुत्र

   } मरियम जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—रेस्पोंडेंटस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:53 IST
Reason: SelfAttested

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2013

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा सहायक कलक्टर भादरा
अनवान यासीन खां आदि बनाम स्टेट प्र. सं. 642/2013

उपस्थितिः–

श्री देवदत भिडासरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मदन मोहन जोशी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 3
श्री विजय सिंह, कड़वासरा अभिभाषक रेस्पोडेंट 2/1 से 2/7, 5/2
श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 6

निर्णय दिनांक 25.5.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत इश्तकरार हक पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि चक 10 बारानी के खाता संख्या 144/122 के मु0नं0 79 के किला नम्बर 1, 2, 8 ता 14, 17 ता 25 कुल 4.554 हैक्टेयर बारानी भूमि मय रास्ता के वादीगण के पिता फैजा वल्द अजमेरी खां के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। वादीगण के पिता फैजू खां का दिनांक 17.01.1998 को देहान्त हो चुका है तथा उसके हक पर वादीगण संख्या 1 ता 4 उसके पुत्र एवं वादीगण संख्या 5 उसकी पुत्री कुल 5 वारिसान मौजूद हैं। वाद भूमि वादीगण के पिता के फौत होने पर वादीगण को विरासतन प्राप्त हो चुकी है। वाद भूमि पुराने समय से वादीगण के परिवार के पास कब्जा काश्त में चली आ रही है। वाद भूमि को पहले वादीगण का पिता फैजू खां काश्त करता था उनके फौत होने पर वादीगण निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं। वाद भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब एवं उससे पहले यह भूमि वादीगण के पिता के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीगण ही लगान अदा करते हैं तथा वाद भूमि कॉलोनी एरिया से बाहर वाद भूमि के वादीगण पुराने निरन्तर कब्जा काश्त के अनुसार कानूनन खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। हालांकि वादीगण वाद भूमि के खातेदारी अधिनियम लागू हुआ उससे पहले से पुरानी कब्जा काश्त होने के कारण कानूनन वाद भूमि के खातेदार काश्तकार बन चुके हैं फिर भी अगर प्रतिवादी राज्य सरकार के अनुसार खातेदारी अधिकार लेने बाबत अगर कोई राशि जमा करवाना अपेक्षित समझता है तो वादीगण उक्त निर्धारित राशि भी जमा करवाने को तैयार है। इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादी को कई दफा दरख्वास्त दी लेकिन प्रतिवादी ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा वादीगण को गैरकानूनी रूप से उसके खातेदारी अधिकार देने में आनाकानी कर रहा है। वाद भूमि फरीकेन के पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज रहने से वादीगण अपनी वाद भूमि का कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं तथा वाद भूमि को सुधार हेतु साख सीमा एवं विक्रय इत्यादि नहीं कर सकते इससे वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि से गैरकानूनी रूप से वंचित हो रहे हैं जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है इसलिये वादीगण अपने हक की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं कि वाद भूमि के वादीगण के पिता फैजा वल्द अजमेरी के फौत होने के बाद वाद भूमि विरासतन वादीगण को प्राप्त हो चुकी है तथा वाद भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर अपने पिता फैजा के स्थान पर खातेदार काश्तकार हैं तथा वाद भूमि की बाबत फैजा वल्द अजमेरी खां कायमखानी साकिन भादरा गैर खातेदार का इन्द्राज कलमजन कर उसके स्थान पर पांचों वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड तदनुसार दुरूस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण की साक्ष्य लेखबद्व कर बाद सुनवाई वाद वादीगण दिनांक 03.10.2013 को डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि कभी भी फैजू खां के कब्जे काश्त में नहीं रही है बल्कि अपीलांट के पूर्वजों की 50 वर्ष पूर्व कब्जा काश्त की भूमि है। रेस्पोडेंट के पिता ने भूप्रबंध अधिकारियों से साजबाज कर उक्त भूमि अपने नाम से गैरखातेदारी दर्ज करवा ली जबकि फैजू खां की चक 10 बारानी में कोई भूमि है ही नहीं तथा न ही कोई कब्जा काश्त थी व है। रेस्पोडेंट का वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि में रेस्पोंडेंट ने कभी काश्त ही नहीं की जिस पर सदामत से अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा रहा है। उक्त निर्णय व डिक्री में अपीलांट पक्षकार नहीं थे। रेस्पोडेंट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में गुपचुप करके अपीलांट की कृषि भूमि बाबत वाद पेश किया तथा दिनांक 03.10.2013 को डिकी करवा लिया जो अपीलांट के ज्ञान में नहीं था। अपीलांट इस निर्णय एवं डिक्री से विपरीत रूप से प्रभावित है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिकी का ज्ञान तब हुआ जब दिनांक 25.11.2013 को पटवारी हल्का के द्वारा खेत की कब्जा बाबत रिपोर्ट लेने मौका पर पहुंचने पर यासीन खां वगैरा ने उनके कब्जे काश्त की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का आदेश प्राप्त कर लिया है। जिस पर अपीलांट तहसील में गये व तहसील में मालूमात किया तो पता चला कि उक्त भूमि की डिकी हो चुकी है तब अपीलांट के द्वारा दिनांक 11.12.2013 को नकल प्राप्त की। इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिकी का ज्ञान नहीं था। ज्ञान के दिवस से अपील अन्दर मियाद है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 6 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का [illegible] कोई जवाब पेश नहीं किया। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] किये हैं जिनका भी कोई खण्डन रेस्पोडेंट ने नहीं [illegible] दन किया कि दफा–5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. अपीलांट ने लिखित बहस की। लिखित बहस में निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 03.10.2013 के विरूद्व अपीलांट ने श्रीमान न्यायालय में अपील दिनांक 13.12.2013 को बतौर तृतीय पक्षकार अपील पेश की है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट व उनके पूर्वज वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट वर्तमान में एवं पूर्व में अपीलांट के पिता रहमतुले खां का कब्जा था। यह तथ्य घटना बही दिनांक 25.11.2013 पटवारी हल्का मलसीसर से स्पष्ट साबित है जिसमें पटवारी हल्का व गिरदावर तहसीलदार आदेश दिनांक 23.10.2013 की पालना में मौका पर गये, ने मौका पर रेस्पोडेंट अपनी भूमि नहीं बता सके व मौका पर वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने की रिपोर्ट घटना बही में अंकित की है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पूर्व रहमतुला व उसके भाई गनी एवं फरीद खां के कब्जा में 1955 से पूर्व की है जो आवंटन पत्रावली 221/1961 से भूमि आवंटन का तथ्य साबित है इसलिये अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के सम्बंध में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट ने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2012 के विरूद्व अपील दिनांक 13.12.2013 को प्रस्तुत की है। अपीलांट विचारण न्यायालय में अपील में पक्षकार नहीं है। अपीलांट को निर्णय व डिक्री का सर्वप्रथम इल्म दिनांक 25.11.2013 को जब पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का वादग्रस्त भूमि के कब्जा बाबत मौका रिपोर्ट हेतु गया तब चला पटवारी व गिरदावर ने व रेस्पोडेंट एवं अन्य खेत पड़ौसियों की उपस्थिति में दिनांक 25.11.2013 को ही मौका रिपोर्ट तैयार की व घटना बही (दैनिक डायरी पटवारी) में वादग्रस्त भूमि पर हमेशा से अपीलांट व उनके पूर्वजों के कब्जा में होने का अंकन किया। दिनांक 25.11.2013 को निर्णय व डिक्री की जानकारी होने के पश्चात अपीलांट विचारण न्यायालय में पत्रावली की जानकारी व नकल हेतु गये परन्तु विधानसभा चुनाव होने के कारण अपीलांट को पत्रावली की जानकारी नहीं मिली। दिनांक 11.12.2013 को जानकारी होते ही नकल प्राप्त करके दिनांक 13.12.2013 को बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर दी। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि पर रेस्पोडेंट का कभी भी कब्जा नहीं रहा। भूमि सर्वप्रथम भूप्रबंध विभाग के द्वारा सम्वत 2029–2038 में रेस्पोडेंट के पूर्वज फेज मोहम्मद पुत्र अजमेरी के नाम दर्ज की गई है जबकि भूप्रबंध विभाग को अंकन करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है न ही सन् 1961 के वादग्रस्त भूमि आवंटन की गई हसलिये अपीलाधीन आदेश शून्य आदेश की श्रेणी का है जिसकी कोई मियाद नहीं है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 [illegible] 27 [illegible] के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट के [illegible] खां पुत्र अजमेरी को वादग्रस्त भूमि चक 10 बारानी पत्थर न[illegible] 144/122 मु[illegible] नम्बर 79 किला नम्बर 1, 2, 8 ता 14, 17 ता 25 की 18 बीघा 4.554 हैक्टेयर भूमि डी.सी.सी. द्वारा दिनांक 24.09.1960 को आवंटन करने के आधार पर खातेदार घोषित किया है। स्व.फैजू खां को दिनांक 24.09.1960 या अन्य कभी वादग्रस्त भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तथ्य को साबित करने हेतु भूप्रबंध विभाग की जमाबंदी सम्वत 2029–2037 गिरदावरी सम्वत 2029–2039, सम्वत 2019–2020 सम्वत 2032 से सम्वत 2034, फैजू खां को भूमि आवंटन की पत्रावली में फर्द अहकाम 15.04.1959, 24.09.1959, 11.10.1959, 23.09.1959 एवं दिनांक 29.09.1960 व 03.06.1961 की सत्यप्रति प्रस्तुत की है। अपील के साथ घटना बही दिनांक 25.11.2013 एवं अपीलांट के पूर्वज रहमत अली खां की आवंटन पत्रावली व गिरदावरी सम्वत 2033–34 की गिरदावरी रहमत अली खां व अपीलांट सफी मोहम्मद की पेश की है। उक्त दस्तावेज राजस्व दस्तावेज की सत्य प्रति हैं जिनके गलत होने का कोई अन्देशा नहीं है व निर्णय में सहायक दस्तावेज है। अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिये पूर्व में रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर सका इसलिये दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जावे। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब पेश किया गया इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। बहस में यह भी निवेदन किया कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय में सर्वप्रथम दिनांक 25.10.2012 को वाद में यासीन खां, सरदाराराम, छगन सिंह, गंगाराम, रामचन्द्र के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जिनमें वादग्रस्त भूमि चक 10 बारानी तादादी 4.554 हैक्टेयर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व लगातार कब्जा में होने का कथन किया अर्थात प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार होने का कथन किया है परन्तु प्रतिकूल धारण के आधार पर कृषि भूमि की खातेदारी नहीं की जा सकती। काश्तकारी अधिनियम से सम्बंधित मामलों में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं। न्यायालय प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी (खातेदारी) अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकत। यह भी कथन किया कि वादीगण ने मूल वाद में यह अनुतोष चाहा था कि वादग्रस्त भूमि चक 10 बारानी तादादी 4.554 हैक्टेयर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व की खातेदारी है इसलिये खातेदार हो चुके हैं। वाद में वादग्रस्त भूमि अपने पिता को आवंटन होने का कोई कथन नहीं किया है परन्तु विचारण न्यायालय ने भूमि फैजू खां को आवंटन होना मानकर व किश्तें जमा करवाई होना मानकर खातेदार घोषित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वाद की प्लीडिंग से बाहर जाकर पारित की है इसलिये डिकी खारिज योग्य है। अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2069 वाद दायरी के समय प्रस्तुत की है। प्रदर्श–2 जमाबंदी भूप्रबंध विभाग सम्वत 2029 से 2039 व गिरदावरी भूप्रबंध विभाग सम्वत 2029 से 2038 पेश की है। वादग्रस्त भूमि भूप्रबंध विभाग ने सर्वप्रथम सम्वत 2029–2038 की जमाबंदी में फैजा के नाम दर्ज की है जबकि भूप्रबंध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का अधिकार नहीं है। गिरदावरी सम्वत 2029 से 2039 भूप्रबंध विभाग में वादग्रस्त भूमि सम्वत 2029 में फैजा पुत्र अजमेरी को आवंटन होनी मानकर अंकन किया है। अपील में प्रस्तुत दस्तावेज आवंटन पत्रावली के फर्द अहकाम 15.04.1959, 24.09.1959, 11.10.1959, 23.09.1959 एवं दिनांक 29.09.1960

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

व 03.06.1961 की सत्यप्रति पेश की है जिनमें वादग्रस्त भूमि के आवंटन के सम्बंध में कोई अन्देशा नहीं है। भूप्रबंध विभाग बिना आदेश के अंकन नहीं कर सकता। भूप्रबंध विभाग को भूप्रबंध के दौरान रिकॉर्ड की पूर्व प्रविष्टियों को दोहराने हेतु बाध्य है। पूर्व अंकन, राजस्थान रिकॉर्ड व राजस्व रिकार्ड को परिवर्तन करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने वादग्रस्त भूमित पर अपना कब्जा होना बताया है व इसी आधार पर खातेदार घोषित किया है। वाद डिक्री के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा इजराय की पालना में मौका पर जाने के पश्चात घटनाबही दिनांक 25.11.2013 में यह स्पष्ट साबित है जिसमें पटवारी हल्का व गिरदावर तहसीलदार आदेशदिनांक 23.10.2013 की पालना में मौका पर वादग्रस्त भूमि अपीलाण्अ के पूर्व रहमतुलाव व उसके भाई गनी एवं फरीद खां क कब्जा 1955 से पूर्व की है। जो आवंटन पत्रावली 221/1961 से भूमि आवंटन का तयि साबित है। वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा है। कब्जा के अभाव में घोषणा का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि अपने पिता को आवंटन होनी बताई है परन्तु कोई आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं हुआ केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर आवंटन होना मानकर खातेदार घोषित किया है परन्तु केवल मौखिक साक्ष्य पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा वाद में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पी.डब्ल्यू. 1 से पी.डब्ल्यू. 5 ने अपने शपथ पत्र में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्तकारी अधिनियम से पूर्व का होना बताकर खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है परन्तु पत्रावली श्रीमान न्यायालय द्वारा रिमांड करने के पश्चात प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू. 6 लियाकत अली ने अपने शपथ पत्र भूमि अपने पिता को आवंटन होनी मानकर खातेदारी घोषित करने का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार आवंटन के आधार पर अर्थात स्वत्व एवं प्रतिकूल धारण दोनों के आधार पर अपने वाद व साक्ष्य में लिये हैं जबकि स्वत्व व प्रतिकूल धारण के आधार पर साथ साथ नहीं चल सकते। वादीगण/रेस्पोडेंट ने पी.डब्ल्यू. 6 लियाकत अली की मौखिक साक्ष्य में भूमि अपने पिता का आवंटन होनी बताई है व अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि फैजू खां को आवंटन होनी मानकर खातेदार घोषित किया है परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि आवंटन होने के सम्बंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं हुई है, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वाद डिकी नहीं किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के वाद डिकी किया है। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र भी रेस्पोडेंट का जवाब प्रस्तुत होने पर स्थग[illegible] आव।अन पत्रावली तलब की है जो धारा 96 सीपीसी के तहत स्वीक[illegible] जायेगी। विवादित भूमि के कुछहिस्से पर अपीलार्थी का क[illegible] तब वह [illegible] में आवश्यक पक्षकार है, धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करके [illegible]तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1998 पेज 168, आर.आर.टी. 2017 पेज 15, आर.बी.जे. 2020 पेज 162, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 1020, आर.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आर.डी. 1991 पेज 492, आर.आर.डी. 1991 पेज 218, आर.आर.डी. 1994 पेज 215, आर.एल.डब्ल्यू. 1997 (1) पेज 224, 396, आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 1304 सुप्रीम कोर्ट, आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 648 राजस्थान हाई कोर्ट, आर.आर.डी. 1999 पेज 307, आर.बी.जे. 2020 पेज 162, आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 1165,आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 491 इत्यादि न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। मात्र कब्जे के कथन कर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती व ना ही पुराना कब्जा होने के सम्बंध में अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रश्नगत भूमि सन् 1961 में ए.सी. हनुमानगढ़ द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता को कमी पूर्ति में तबादला में आवंटित की गई तथा पर्चा खतौनी एकीकरण विभाग सम्वत 2016 चक 10 बारानी व खसरा बन्दोबस्त भूप्रबंध विभाग सम्वत 2019 में उपरोक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता फैजा वल्द अजमेरी के नाम बतौर अलॉटी गैरखातेदारी काश्तकार के रूप में रिकार्ड में अमलदरामद हो गया उसके बाद पर्चा खतौनी भूप्रबंध विभाग सम्वत 2029 से 2038 में गैर खातेदार काश्तकार के रूप में नाम अंकन हो गया। सम्वत 2016 की पर्चा खतौनी एकीकरण विभाग व खसरा सर्वे सम्वत 2019 भूप्रबंध विभाग व पर्चा खतौनी सम्वत 2029–2038 व जमाबंदी सम्वत 2033 से 2036 व उसके बाद जमाबंदी सम्वत 2040 से 2070 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 2070 में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता का नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। रेस्पोडेंट के पिता फौत हो चुका है। उन्होनें आवंटन के समय पांच किश्तें आवंटित भूमि की जमा करवा दी गई थी व शेष किश्तें भी डिक्री दिनांक 03.10.2013 की पालना में जरिये चालान संख्या 492 दिनांक 12.12.2013 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा हनुमानगढ़ में जमा करवाई गई है। प्रश्नगत भूमि में अपीलांट का कोई भी हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट का प्रश्नगत भूमि में पूर्ववर्ती अधिकार अथवा पूर्व में प्रश्नगत भूमि अपीलांट को आवंटित अथवा काश्तकार नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता ने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता फैजा वल्द अजमेरी खां के नाम गैरखातेदारी दर्ज थी तथा उसके फौत होने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 उसके विधि[illegible]ज वारिस होने के नाते उसके स्थान पर खातेदार काश्तकार होने का अनुतोष [illegible] गया है जिससे अपीलांट के हित किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, अपीलांट [illegible] नहीं कर पाया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता ने बहस में यह भी निवेदन किया कि धारा 96 सीपीसी पर न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में 50 वर्षों से कब्जा काश्त होने के मात्र कथन किये हैं जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता को प्रश्नगत भूमि आवंटित हुई है। जहां तक कि अपीलांट का यह कथन कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता को आवंटित नहीं हुई, विश्वसनीय नहीं है। इस सम्बंध में राजस्थान सरकार ने कोई विरोध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं किया बल्कि उन्होनें अपने जवाबदावा में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 को खातेदारी अधिकार निर्धारित आरक्षित दर से राशि जमा करके ही प्राप्त कर सकने के कथन किये हैं। राज्य सरकार की जवाबदेही से यह साबित है कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता फैज खां पुत्र अजमेरी खां को आवंटित हुई थी इसी कारण पूर्व में पांच किश्तें राज्य सरकार द्वारा जमा करवाई गई। यदि राज्य सरकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित होती या प्रश्नगत भूमि फैज खां पुत्र अजमेरी खां को आवंटित नहीं होती तो वे अवश्य इसकी अपील पेश करते। यह विवाद राज्य सरकार व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के मध्य था, लेकिन राज्य सरकार ने कोई अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। स्वयं अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में पुराने कब्जा के आधार पर प्रतिकूल धारण होने के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जाने के कथन किये हैं जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता को उपरोक्त भूमि आवंटित हुई है। यदि अपीलांट ने मूल आवंटन तबादला कमीपूर्ति आदेश ए.सी. हनुमानगढ़ के विरूद्व कोई चाराजोई नहीं की गई। उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। अपीलांट की अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता ने दफा–5 मियाद अधिनियम में अपीलांट के दफा–5 में किये गये कथनों को इन्कार किया है तथा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का शुरू से ही ज्ञान होने के कथन किये हैं तथा निवेदन किया कि अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंट संख्या–6 के राज पैरोकार ने भी अपीलांट की अपील का विरोध किया तथा अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

7. उभयपक्ष पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 द्वारा यह निवेदन किया गया कि अपीलांट को धारा 96 सीपीसी के सम्बंध में अपील प्रस्तुत करने की कोई अनुमति न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी के सम्बंध में निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी के सम्बंध में यह कथन किये हैं कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की 50 वर्षो से कब्जा काश्त की भूमि पर पारित करवाई गई है। अपीलांट का उपरोक्त भूमि पर खाते अधिकार अथवा आवंटन या खातेदार काश्तकार होने के सम्बंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। मात्र कब्जा के आधार पर अपीलांट अपने आपको प्रभावित पक्षकार होना मान रहा है। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में यह घोषणा चाही गई है कि प्रश्नगत भूमि वादीगण के पिता फैजा वल्द अजमेरी के फौत होने के बाद वादीगण को प्राप्त हो चुकी है तथा वादीगण अपने पिता फैजा के स्थान पर खातेदार काश्तकार है तथा प्रश्नगत भूमि की बाबत फैजा वल्द अजमेरी खां कायमखानी साकिन भादरा गैर खातेदार का इन्द्राज कलमजन कर उसके स्थान पर पांचों वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड तदनुसार दुरूस्त फरमाया जावे। चूंकि फैजा खां फौत हो चुका है तथा फैजा खां के हक व हिस्सा की भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 विरासतन हक रखते हैं। पूर्व में उपरोक्त भूमि कभी अपीलांट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नहीं है। अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से वे किस प्रकार से प्रभवित है। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र एवं अपीली खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। हो।

निर्णय आज दिनांक 25.5.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:53 IST
Reason: SelfAttested